भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2655
11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के अंतर्गत आवंटित निधि

2655 श्री राघव चड्ढाः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के अंतर्गत शामिल जिलों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटित और उपयोग की गई धनराशि कितनी-कितनी है;
(ग) क्या आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): मानसिक विकारों के बढ़ते भार के समाधान के लिए, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया, जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सभी व्यक्तियों, जिसमें बुर्जुग भी शामिल हैं, के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बहिरंग रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए निरंतर देखभाल एवं सहायता, औषधियां, आउटरीच सेवाएं,

एम्बुलेंस सेवाएं आदि उपलब्ध कराई जाती हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली अंतरंग रोगी सुविधा का भी प्रावधान है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	**2023-24**			**2024-25**			**2025-26**		
	बजट अनुमान	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**व्यय**
एनएमएचपी	31.5	34.65	15.14	30.71	20	5.27	32	5	3.61

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार द्वारा 1.8 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नयन किया गया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर विभागों में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या बढ़ाने तथा विशिष्ट परिचर्या स्तर की उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं के 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की गई है।

सरकार देश के अल्पसेवित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने हेतु वर्ष 2018 से स्थापित डिजिटल अकादमियों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या चिकित्सा एवं सहायक चिकित्सा कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रही है। डिजिटल अकादमियों के अंतर्गत अब तक कुल 48,629 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है।

देश में मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 15.01.2024 को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षाएं-2023 जारी की गई थीं। एमडी (मनोचिकित्सा) में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने अथवा सीटों में वृद्धि करने के लिए अधिकतम 2 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के वार्षिक प्रवेश हेतु प्रतिदिन बहिरंग रोगी विभाग में आने वाले रोगियों की न्यूनतम संख्या घटाकर 30 कर दी गई है तथा प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, किसी चिकित्सा महाविद्यालय में 2, 3 और 5 सीटों के साथ एमडी (मनोचिकित्सा) में पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए प्रति इकाई न्यूनतम अनिवार्य बिस्तरों की संख्या क्रमशः 8, 12 और 20 है।

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 66 संस्थान/विश्वविद्यालय एम. फिल नैदानिक मनोविज्ञान पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। परिषद द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से बीएससी नैदानिक मनोविज्ञान (आनर्स) पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है तथा इस पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए 19 विश्वविद्यालयों को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिससे नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिक पेशेवरों को तैनात किया जा सके।

भारत सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया था। दिनांक 27.07.2026 तक 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 53 टेली-मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। टेली-मानस सेवाएं राज्यों द्वारा चुनी गई भाषाओं के आधार पर 20 भाषाओं में उपलब्ध हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से हेल्पलाइन नंबर पर 42 लाख से अधिक कॉल का उत्तर दिया गया है।

सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 10 अक्टूबर, 2024 के अवसर पर टेली-मानस मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू किया था। टेली-मानस मोबाइल एप्लीकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है, जिसे मानसिक कल्याण से लेकर मानसिक विकारों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है।
